UPMP040037292026

न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग) एफ० टी० सी० (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) ,मैनपुरी ।

पीठासीन अधिकारी- (MONU) , (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP04848

राज्य बनाम सूरत सिंह।

अपराध.सं०-34/2026
धारा-324(2),305(क),352
351(3) बी.एन.एस.
थाना- औंछा, जिला- मैनपुरी।

दिनांक-30.04.2026

प्रार्थी सूरत सिंह पुत्र संजय कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 34/2026, धारा- 324(2),305(क),352, 351(3) बी.एन.एस. में थाने पर निरुद्ध प्लास्टिक पाइप को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक उपरोक्त वर्णित अपराध का वादी / एफ०आई०आर०कर्ता है। दिनांक 25-02-2026 को आवेदक के खेत पर लगे ट्यूबवैल से दिन में करीब 9 बजे नामित चोर रणजीत कुमार आदि ने बिजली स्टार्टर एवं बोरिंग हेतु रखे हुये प्लास्टिक के चार इंची पाइप चोरी कर लिये थे। आवेदक ने ट्यूबवैल से चारी गये प्लास्टिक के पाइप पुलिस विवेवक ने अभियुक्त रणजीत कुमार के मित्र सौरभ को गिरफ्तार करके उसकी निशान देही पर बरामद कर लिये है जो थाना आँछा पर सुरक्षित जमा है और थाने से सौरभ को छोड दिया गया तथा कबाडे वाले को जेल भेज दिया गया है। आवेदक बरामदशुदा प्लास्टिक पाइपों का निर्विवाद रूप से स्वामी है और उन्हें अपनी सुपुर्दगी में लेने का विधिक अधिकारी है। आवेदक न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्राप्त प्लास्टिक पाइपों को न्यायालय में अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। आवेदक वांछित जमानत पर प्रस्तुत करने को तैयार है।

थाने की आख्या के अनुसार चोरी गये 3 अदद प्लास्टिक पाइप थाना हाजा के मालग्रह पर दाखिल है। जिनका मूल्य लगभग 1200 रू० है तथा लंबाई 10 फीट व चौड़ाई लगभग 06 इंच है।

प्रार्थनापत्र के निस्तारण पर सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन एंव थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत प्लास्टिक पाइप थाने पर निरूद्व है। एफ.आई.आर व प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्लास्टिक के पाइप आवेदक (वादी मुकदमा) के है तथा **अन्य किसी की ओर से सुपुर्दगी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया गया**। विधि व्यवस्था सुन्दर लाल देसाई वनाम गुजरात राज्य 2013 (1) जे.आई.सी. 345 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि उक्त प्लास्टिक के पाइप थाने में रहने से क्षति होती है प्रश्नगत प्लास्टिक के पाइप के निरूद्व रहने से खराब होने का अन्देशा है एंव थाने पर निरूद्व रहने से कोई लाभप्रद उपयोग नही है एंव थाने पर खड़े रहने से उसकी उपयोगिता नष्ट होने की सम्भावना है। प्रश्नगतप्लास्टिक के पाइप दैनिक कार्य के प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी उचित देखरेख

स्वामी ही कर सकता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत प्लास्टिक के पाइप प्रार्थी/स्वामी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/स्वामी सूरत सिंह पुत्र संजय कुमार का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है । सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उक्त तीन अदद प्लास्टिक पाइप को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तों पर सुपुर्द करें ।

1. प्रार्थी/स्वामी द्वारा मुव० /- 1200 (बारह सौ रूपये) का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू एवं 1200 रुपये की सिक्योरिटी स्वयं अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

2. कार्यवाही के दौरान प्रार्थी उक्त प्लास्टिक के पाइप का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा तथा उक्त प्लास्टिक के पाइप को पुलिस या न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा ।

(मोनू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (अ. व.)
एफ. टी. सी. (सी. ए. डब्लू.), मैनपुरी।